

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग संबंधी पीएलआई स्कीम के लिए)

दिनांक: 8 अक्टूबर, 2021

1. स्कीम के अंतर्गत आवेदक कौन होते हैं?

उत्तर: स्कीम के अंतर्गत आवेदक है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत में स्थापित/पंजीकृत कंपनी, जो ऑटोमोटिव और/या ऑटो घटक विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी हो या

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत में स्थापित/पंजीकृत नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी (जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो घटक विनिर्माण व्यवसाय में न हो)

जो स्कीम के अंतर्गत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती हो और जिसने स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो।

2. कोई आवेदक किन परिस्थितियों में स्कीम के लिए अपात्र हो सकता है?

उत्तर: वे आवेदक अपात्र माने जाएंगे जिनके खाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किए गए हैं या भारतीय रिजर्व बैंक/सिबिल या सेबी की प्रतिबंधित सूची के अनुसार दोषी या जान-बूझकर दोषी करार दिए गए हैं या जिन्हें किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी आदि द्वारा धोखेबाज के रूप में रिपोर्ट किया हो। इसके अलावा, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) आदि में आवेदक के विरुद्ध कोई दिवाला कार्यवाही स्वीकृत न हो।

3. क्या किसी आवेदक के पास कई विनिर्माण सुविधाएं हो सकती हैं?

उत्तर: आवेदक के पास भारत में कई विनिर्माण सुविधाएं/स्थल हो सकते हैं।

4. क्या इस स्कीम के अंतर्गत ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड- दोनों परियोजनाओं की अनुमति है?

उत्तर: जी हां, इस स्कीम के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं-- दोनों की अनुमति है।

5. क्या किसी प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) को पीएलआई का लाभ मिल सकता है?

उत्तर: जी नहीं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अनुमति नहीं है। भारत में स्थापित और कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित ऐसी कोई भी कंपनी आवेदक हो सकती है जो स्कीम के अंतर्गत एक या एक से अधिक पात्र उत्पाद (उत्पादों) के विनिर्माण का प्रस्ताव करती है।

6. स्कीम के अनुसार, आवेदक को कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत भारत में स्थापित/पंजीकृत कंपनी होना चाहिए। क्या इसका अर्थ यह है कि कंपनी अधिनियम, 1956 (पुराना अधिनियम) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां इस पीएलआई स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं?

उत्तर: भारत में और कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित अनुसार स्थापित ऐसी कोई भी कंपनी आवेदक हो सकती है जो स्कीम के अंतर्गत एक या एक से अधिक पात्र उत्पाद (उत्पादों) के विनिर्माण का प्रस्ताव करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) में 'कंपनी' शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "कंपनी का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी पूर्ववर्ती कंपनी कानून के अंतर्गत स्थापित कंपनी है।" इसलिए, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित कंपनियां भी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

7. क्या पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी पात्र हो सकती है?

उत्तर: जी हां, लेकिन स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए वह भारत में पंजीकृत होनी चाहिए।

8. क्या मूल्यवर्धित पुनर्विक्रेता और व्यापारिक कंपनियां (जो विनिर्माण व्यवसाय में नहीं हैं) इस स्कीम के अंतर्गत पात्र हैं?

उत्तर: जी हां। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी पात्रता मानदंड को पूरा कर और स्कीम के अंतर्गत पात्र उत्पादों के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की शर्त पूरी कर स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकती है।

9. क्या समूह की दो या दो से अधिक कंपनियां एकल साझा आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं?

उत्तर: समूह कंपनियों को (चाहे उनकी संख्या कितनी ही हो) इस स्कीम के अंतर्गत अलग-अलग आवेदन जमा करके एक व्यक्ति के रूप में आवेदन करने की अनुमति है। तथापि, वे क्रमशः अपने अलग-अलग आवेदनों में समूह के वैश्विक समूह राजस्व, सकल ब्लॉक और निवल मूल्य का उपयोग कर सकती हैं।

10. इस स्कीम में कितने घटक हैं?

उत्तर: इस स्कीम के दो घटक हैं-

i चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता प्रोत्साहन स्कीम

ii. घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम

11. क्या कोई कंपनी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आवेदक के रूप में कई आवेदन जमा कर सकती है?

उत्तर: चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता खंड के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र आवेदक घटक चैंपियन खंड के लिए भी आवेदन कर सकता है। किंतु, घटक चैंपियन खंड के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्र आवेदक के रूप में ऑटो घटक विनिर्माता चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता खंड के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकता।

12. क्या चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता खंड और घटक चैंपियन खंड-- दोनों के अंतर्गत अनुमोदित आवेदक दोनों खंडों के अंतर्गत उसी घटक के लिए प्रोत्साहन का दावा कर सकता है?

उत्तर: ऑटोमोटिव मूल उपकरण विनिर्माता कंपनी या नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी के रूप में अनुमोदित विधिक इकाई इस शर्त पर स्कीम के दोनों घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती है कि स्कीम के अंतर्गत किसी भी पात्र उत्पाद को केवल एक बार प्रोत्साहन दिया जाएगा। घटक स्तर और वाहन स्तर के अंतर्गत एक ही उत्पाद के लिए प्रोत्साहन के किसी भी दोहरे दावे मात्र से विधिक इकाई को अपात्र ठहराया जा सकता है और साथ ही, उस पर विधि के अंतर्गत अनुप्रयोज्य अन्य विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

13. इस स्कीम का बजटीय परिव्यय क्या है?

उत्तर: इस स्कीम के लिए कुल बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये है।

14. यदि प्रोत्साहन का परिव्यय अधिक हो जाता है, तो क्या बजटीय परिव्यय को बढ़ाया जाएगा?

उत्तर: यह एक निधि-सीमित स्कीम है। यदि परिकल्पित प्रोत्साहन भुगतान बजटीय परिव्यय से अधिक हो, तो स्कीम को 5 (पांच) वर्ष की अवधि से पहले भी समाप्त किया जा सकता है और सभी पीएलआई में विकसित सूत्रीकरण के अनुसार प्रो-डेटा आधार पर प्रोत्साहन भुगतान कम किया जाएगा।

15. क्या वाहन विद्युत प्रौद्योगिकी या बीईवी, हाइब्रिड, हाइड्रोजन ईंधन सेल, आईईसी वाहन, फ्लेक्स-ईंधन वाहन आदि जैसे ईंधन पर आधारित बजटीय परिव्यय में कोई पृथक्करण है?

उत्तर: स्कीम में केवल एक आवंटन है। स्कीम में वाहन विद्युत प्रौद्योगिकी के आधार पर कोई अंतर नहीं है। पात्र उत्पादों के निर्धारित बिक्री मूल्य के आधार पर प्रोत्साहन लागू होता है।

16. क्या दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया, सीवी, ट्रैक्टर और सैन्य उद्देश्यों आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों जैसे वाहन-खंडों पर आधारित बजटीय परिव्यय में कोई पृथक्करण है?

उत्तर: जी नहीं, स्कीम में केवल एक ही आवंटन है।

17. क्या स्कीम में वाहनों और ऑटो घटकों के लिए बजटीय परिव्यय में कोई पृथक्करण है?

उत्तर: जी नहीं, स्कीम में केवल एक ही आवंटन है।

18. क्या बड़े निर्माण संयंत्रों और उपकरणों (जैसे सड़क बनाने के उपकरण, अर्थमूविंग उपकरण, सामग्री लिफ्टिंग और हैंडलिंग वाले उपकरण आदि), खनन मशीनरी, विशेष प्रयोजन वाहन, मोबाइल क्रेन, डम्पर, उत्खनन मशीन, लोडर एवं अनलोडर को भी इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है?

उत्तर: जी हाँ। इस स्कीम के अंतर्गत ऑटो क्षेत्र के लिए बने पात्र उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटक और निर्माण संयंत्रों तथा उपकरणों में उपयोग की जानी वाली खनन मशीनरी, विशेष प्रयोजन वाहन, मोबाइल क्रेन, डम्पर, उत्खनन मशीन, लोडर एवं अनलोडर को भी इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते किसी भी एएटी घटक को इस स्कीम में केवल एक ही बार प्रोत्साहन दिया जाएगा।

19. क्या इस स्कीम में प्रोत्साहन भुगतान की कोई वर्षवार सीमा है?

उत्तर: इस स्कीम में कोई वर्षवार सीमा नहीं है। संपूर्ण स्कीम निवेश की फ्रंट लोडिंग और स्कीम के अंत में प्रोत्साहन को कम करने की अवधारणा पर आधारित है।

20. क्या इस स्कीम में उल्लिखित वर्षवार प्रोत्साहन परिव्यय निर्धारित है?

उत्तर: वार्षिक प्रोत्साहन भुगतान सांकेतिक होते हैं और इन्हें समग्र वित्तीय परिव्यय के दायरे में, बिक्री/बाजार परिदृश्य के आधार पर बदला जा सकता है (कृपया स्कीम खंड संख्या 4.1 - कुल प्रोत्साहन तालिका को देखें)।

21. इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत किसी भी अनुमोदित कंपनी के लिए वर्षवार निर्धारित बिक्री मूल्य की सीमा क्या है?

उत्तर: स्कीम के अंतर्गत वर्षवार निर्धारित बिक्री मूल्य की अवसीमा इस प्रकार है:  
(करोड़ रुपये में)

स्कीम वर्ष	चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता प्रोत्साहन स्कीम के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य की अवसीमा	घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य की अवसीमा
वर्ष 1	125.00	25.00
वर्ष 2	137.50	27.50
वर्ष 3	151.25	30.25
वर्ष 4	166.38	33.28
वर्ष 5	183.01	36.60

22. इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अवधि क्या है?

उत्तर: इस स्कीम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की समय-सीमा आवेदन आमंत्रित करने की सूचना की तिथि से 60 दिन होगी।

23. आवेदन आमंत्रित करने की सूचना कब उपलब्ध होगी?

उत्तर: इस स्कीम के दिशानिर्देशों के पैरा 2.4 के अनुसार, आवेदन आमंत्रित करने की सूचना स्कीम की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।

24. स्कीम का कार्यकाल क्या है?

उत्तर: स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू होगा जिसे अगले वित्त वर्ष 2023-24 में संवितरित किया जाएगा और इसी तरह लगातार कुल 05 वित्त वर्ष के लिए संवितरित किया जाएगा।

25. पात्र बिक्री मूल्य की गणना के लिए आधार-वर्ष क्या है?

उत्तर: वित्त वर्ष 2019-20 को पात्र बिक्री मूल्य की गणना के लिए आधार-वर्ष माना जाएगा (अनुमोदित नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी पर अनुप्रयोज्य नहीं)।

26. इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन-शुल्क क्या है?

उत्तर: आवेदन-पत्र दाखिल करते समय एक अप्रतिदेय आवेदन-शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क जमा कराने के लिए बैंक खाते और संबंधित नियमों तथा शर्तों का विवरण आवेदन-पत्र में प्रदान किया जाएगा। आवेदन शुल्क केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। लागू शुल्क इस प्रकार है:

क्र.सं.	आवेदन श्रेणी	देय आवेदन शुल्क
1.	चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता प्रोत्साहन स्कीम	1,00,000/- रूपये
2.	घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम	25,000/- रूपये

27. ऑटोमोटिव वाहन और घटक विनिर्माण के अंतर्गत मौजूदा कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

उत्तर: भारत में या वैश्विक स्तर पर पहले से ऑटोमोटिव वाहन और घटक विनिर्माण में लगी कंपनी के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

पात्रता मानदंड	ऑटो मूल उपकरण विनिर्माता	ऑटो घटक
वैश्विक समूह राजस्व (ऑटोमोटिव और/या ऑटो घटक विनिर्माण से)	न्यूनतम 10,000 करोड़ रूपये	न्यूनतम 500 करोड़ रूपये
निवेश	अचल (फिक्स्ड) परिसंपत्तियों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या	अचल परिसंपत्तियों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या उसके समूह कंपनी

उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) का 3,000 करोड़ रुपये का वैश्विक निवेश।	(कंपनियों) का 150 करोड़ रुपये का वैश्विक निवेश।
---	---

उपर्युक्त पात्रता मानदंड को दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर पूरा किया जाना है। वैश्विक समूह राजस्व और निवेश को आवेदक और उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर दिया जाना है।

28. इस स्कीम में भाग लेने की इच्छुक नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

उत्तर: नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

पात्रता मानदंड	नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां)
वैश्विक निवल मूल्य	दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरण के आधार पर 1,000 करोड़ रुपये
पांच साल की अवधि में भारत में प्रतिबद्ध निवेश	इस स्कीम के दिशानिर्देशों के पैरा 4.1(ग) में उल्लिखित न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तों के अनुसार।

गैर-ऑटोमोटिव कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) इस स्कीम के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे भारत में निवेश करने और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों या उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के विनिर्माण से राजस्व का सृजन करने के लिए एक स्पष्ट व्यवसाय स्कीम प्रस्तुत करें। व्यवसाय योजना में भारत में अनुमानित निवेश और राजस्व, निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों की सांकेतिक सूची, विनिर्माण सुविधाओं की संख्या (भारत में स्थान सहित), रोजगार सृजन, अनुमानित घरेलू मूल्य संवर्धन और अन्य संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, आवेदक गैर-ऑटोमोटिव कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को स्व-प्रमाणन के आधार पर निवल मूल्य देना होगा।

## 29. पीएलआई स्कीम के अंतर्गत पात्र उत्पाद कौन-से हैं?

उत्तर: स्कीम के अंतर्गत भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण में लगी कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र उत्पादों की सूची इस प्रकार है:

i उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों की सूची:- निम्नलिखित वाहनों को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहन के रूप में निर्धारित किया गया है। तकनीकी विकास के आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सूची में संशोधन किया जा सकता है।

क्र.सं.	विवरण
1	बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहन:-सभी वाहन खंड जो फेम-II स्कीम के निष्पादन के संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानदंडों को पूरा करते हों।
2	हाइड्रोजन ईंधन सेल-चालित वाहन: सभी वाहन खंड।

ii. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों की सूची अलग से उचित समय पर अधिसूचित की जाएगी।

## 30. क्या कोई आवेदक कंपनी स्वनिर्मित किसी ऑटोमोबिल या ऑटो घटक के लिए प्रोत्साहन का दावा कर सकती है?

उत्तर: जी नहीं। स्कीम के अंतर्गत एक बार चयनित और अनुमोदित हो जाने के उपरान्त आवेदक कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित पात्र उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्धारित बिक्री मूल्य पर प्रोत्साहन का दावा कर सकती है।

## 31. क्या कोई अनुमोदित कंपनी स्वनिर्मित समस्त उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए स्कीम प्रोत्साहन का दावा कर सकती है?

उत्तर: कोई भी अनुमोदित कंपनी केवल उन उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा कर सकती है जो न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की शर्त को पूरा करते हैं।

## 32. क्या प्रति कंपनी अधिकतम प्रोत्साहन की कोई सीमा है?



उत्तर: जी हाँ। संपूर्ण समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए कुल प्रोत्साहन 6,485 करोड़ रुपये रखा गया है अर्थात् इस स्कीम के अंतर्गत कुल प्रोत्साहन परिव्यय का 25 प्रतिशत।

33. अगर वह समूह कंपनी दो या अधिक आवेदक कंपनियों के लिए दावा करे और उस पर विचार किया जाए, तो ऑटो मूल उपकरण विनिर्माता और/या ऑटो घटक विनिर्माण खंड से आवेदक कंपनी (इसकी ग्रुप कंपनियों सहित) के वैश्विक समूह राजस्व की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर: यदि दो या अधिक आवेदक कंपनियों के लिए कोई आवेदक कंपनी (इसकी समूह कंपनियों सहित) के चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता और/या घटक चैंपियन विनिर्माण खंडों में विनिर्माण राजस्व का दावा करती है और उसपर विचार किया जाता है, तब ऐसी आवेदक कंपनी (इसकी समूह कंपनियों सहित) के विनिर्माण राजस्व को पूरी तरह से उस आवेदक के लिए माना जाएगा जो ऐसी इकाई के राजस्व का दावा कर रहा है। तथापि, यदि कोई अन्य समूह कंपनी स्कीम के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है, तो वह भी उस समूह कंपनी के राजस्व का दावा कर सकती है, जिस पर पहले से ही अन्य आवेदक समूह कंपनी द्वारा विचार किया जा चुका है।

इससे इस स्कीम के अंतर्गत और अधिक आवेदकों के लिए सहभागिता सुविधाजनक होगी।

यह स्कीम अधिक संख्या में आवेदक कंपनी या उसके समूह की कंपनियों को अपने स्वयं के व्यवसाय मॉडल के साथ इस स्कीम के अंतर्गत भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए है।

उदाहरण के लिए, कंपनी "ए" और "बी" समूह कंपनियां हैं और दोनों ऑटोमोबिल विनिर्माण व्यवसाय में हैं। कंपनी एक्स (समूह का एक एसपीवी) स्कीम के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है। तब एक्स, चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता के अंतर्गत स्कीम के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए "ए" और "बी" के राजस्व का उपयोग कर सकती है। तथापि, एक और एसपीवी कंपनी है, उदाहारण के लिए कंपनी जेड, जो स्कीम के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है। ऐसे में जेड, समूह कंपनियों- ए और बी के राजस्व का भी उपयोग कर सकती है।

तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत कंपनी एक्स और कंपनी जेड को न्यूनतम संचयी घरेलू निवेश के मानदंड को अलग-अलग पूरा करना होगा और पृथक आवेदकों के रूप में निर्धारित बिक्री मूल्य को प्राप्त करना होगा।

34. यदि आवेदक का वैश्विक समूह राजस्व (समूह कंपनियों सहित) भारतीय मुद्रा से इतर मुद्रा में उपलब्ध हो, तो क्या होगा?

उत्तर: यदि आवेदक कंपनी (समूह कंपनियों सहित) का वैश्विक समूह राजस्व भारतीय मुद्रा से इतर मुद्रा में उपलब्ध है, तो भारतीय मुद्रा की समकक्ष राशि की गणना रिपोर्टिंग अवधि के पहले दिन और अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के औसत को लागू करके की जाएगी।

35. संचयी घरेलू निवेश का क्या अर्थ है?

उत्तर: संचयी घरेलू निवेश का अर्थ दिनांक 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात आवेदक द्वारा किये गये वर्षवार संचयी वृद्धिशील निवेश से होगा।

36. स्कीम के अंतर्गत पात्र निवेश पर किस तारीख से विचार किया जाएगा?

उत्तर: स्कीम के अंतर्गत केवल दिनांक 01/04/2021 को या उसके पश्चात किए गए निवेश और कंपनी के बहीखातों में मौजूद पूंजी पर ही विचार किया जाएगा। तदनुसार, स्कीम के अंतर्गत दिनांक 01/04/2021 से पहले के निवेश और किसी भी प्रक्रियाधीन पूंजी संबंधी एनवॉयस पर विचार नहीं किया जाएगा।

37. अवसीमा निवेश का अर्थ क्या है?

उत्तर: पीएलआई स्कीम दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट स्कीम के संबंधित घटकों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में आवेदक द्वारा किए गए न्यूनतम संचयी घरेलू निवेश की राशि।

38. पीएलआई स्कीम के लिए 5 वर्षों तक निवेश किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, उद्योग की प्रकृति को देखते हुए, वृद्धिशील निवेश को पीएलआई प्रोत्साहन तालिका के अनुसार आवंटित नहीं किया जा सकता और इसे शुरुआती दो-तीन वर्षों में किए जाने वाले संपूर्ण निवेश के साथ फ्रंट लोड किया जा सकता है। ऐसा निवेश स्कीम के लिए पात्र होगा अथवा नहीं?

उत्तर: फ्रंट लोडेड निवेश पात्र निवेश के रूप में होगा, बशर्ते वह स्कीम के दिशानिर्देशों में निर्धारित संबंधित वित्त वर्ष के लिए संगत निर्धारित संचयी घरेलू निवेश और अवसीमा निवेश के बराबर या उससे अधिक हो। हालांकि, पीएलआई की पात्रता संबंधित वित्त वर्ष के लिए पात्र उत्पादों के निर्धारित बिक्री मूल्य की

अवसीमा की उपलब्धि पर निर्भर करेगी जैसा कि स्कीम के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है।

39. पात्र कंपनी द्वारा फ्रंट लोडेड निवेश के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की गणना के लिए बैंक दर क्या होगी?

उत्तर: बैंक दर 31/12/2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार होगी।

40. यह स्कीम पांच साल के लिए है और आवेदक संचयी अवसीमा निवेश मानदंड को पूरा करने के लिए समय-समय पर निवेश कर सकते हैं, अतः ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई चयनित आवेदक मौजूदा स्थान के अलावा भारत में किसी अन्य स्थान पर स्थानीय मांग को पूरा करने के लिये या किसी अन्य कारण से एक और विनिर्माण सुविधा स्थापित करे। ऐसे में क्या किया जाएगा?

उत्तर: चयनित आवेदकों को भारी उद्योग मंत्रालय को सूचित करते हुए स्कीम के कार्यकाल के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने पर सभी संगत दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त स्थान का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

41. यदि दो प्रारंभिक मानदंडों में से एक अर्थात् संचयी घरेलू निवेश और पात्र उत्पादों के निर्धारित बिक्री मूल्य को पूरा किया जाता है, तो क्या किसी दिए गए वर्ष के लिए स्कीम के तहत पात्रता हासिल होती है?

उत्तर: आवेदक कंपनी को किसी दिए गए वर्ष के लिए स्कीम के तहत प्रोत्साहन संवितरण का पात्र होने के लिए पात्र उत्पादों के प्रारंभिक मानदंड यानी संचयी घरेलू निवेश और निर्धारित बिक्री मूल्य-- दोनों को पूरा करना होगा।

42. यदि कोई आवेदक कंपनी किसी दिए गए वर्ष के लिए निर्धारित मानदंड को प्राप्त करने में सक्षम न हो, तो क्या होगा?

उत्तर: पात्रता, संचयी घरेलू निवेश और पात्र उत्पादों के निर्धारित बिक्री मूल्य की अवसीमा को पूरा करने पर निर्भर करेगी। आवेदक को विचाराधीन वर्ष के लिए प्रोत्साहन संवितरण का पात्र होने के लिए प्रारंभिक मानदंडों को पूरा करना होगा। यदि कोई आवेदक किसी दिए गए वर्ष के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो आवेदक उस विशेष वर्ष में प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। हालांकि, आवेदक को स्कीम के कार्यकाल के दौरान बाद के वर्षों में प्रोत्साहन का दावा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, बशर्ते बाद के ऐसे वर्षों के लिए पात्रता मानदंड पूरे किए गए हों।

43. क्या निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी), संचालन-पूर्व व्यय और संयंत्र तथा मशीनरी खरीदने के लिए प्रशासनिक व्यय पात्र निवेश में शामिल हैं?

उत्तर: नहीं। आईडीसी, संचालन-पूर्व व्यय और प्रशासनिक व्यय पात्र निवेश में शामिल नहीं हैं।

44. क्या 3 साल की क्रेडिट अवधि (खुले साख पत्र और खरीदार के क्रेडिट का उपयोग) के तहत खरीदे गए पूंजीगत वस्तु को खरीद वर्ष में पीएलआई निवेश के हिस्से के रूप में माना जाएगा?

उत्तर: ऐसे मामले में, केवल आधारिक मूल्य यानी पूंजीगत वस्तुओं की कैश डाउन कीमत को निवेश माना जाएगा, न कि क्रेडिट अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा लिए गए ब्याज को।

45. क्या स्कीम में ऐसे करों और शुल्कों को भी शामिल किया जाता है जिनपर निवेश के लिए विचार किया जाता है?

उत्तर: सभी नॉन-क्रेडिटेबल करों और शुल्कों को ऐसे व्यय में शामिल किया जाएगा।

46. क्या स्कीम के अंतर्गत भूमि और भवन पर किया गया व्यय शामिल है?

उत्तर: संचयी न्यूनतम घरेलू निवेश के अवसीमा मानदंड को पूरा करने के लिए भूमि पर किये गये व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, मुख्य संयंत्र और उपयोगिताओं के मुख्य भवनों को निवेश का हिस्सा माना जाएगा, बशर्ते यह स्कीम के तहत एक खंड के लिए परिभाषित न्यूनतम संचयी घरेलू निवेश के 10% से अधिक न हो।

47. क्या पीएलआई स्कीम के तहत निवेश के उद्देश्य से इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (ईआर एंड डी) पर किए गए व्यय और संबंधित लागत की अनुमति है?

उत्तर: हाँ। स्कीम के तहत ईआर एंड डी और उत्पाद डिजाइन तथा विकास पर पूंजीगत व्यय की अनुमति है।

48. यदि कोई मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी-- दोनों ऑटोमोबिल और/या ऑटो घटकों के व्यवसाय के निर्माण में हैं और केवल मूल कंपनी ही स्कीम के तहत आवेदन करती है, तो क्या सहायक कंपनी द्वारा विनिर्मित पात्र उत्पादों के निवेश और बिक्री की गणना संचयी घरेलू निवेश में की जाएगी और क्या यह इस स्कीम के तहत मूल कंपनी के बिक्री मूल्य का निर्धारण करता है?

उत्तर: हाँ। हालांकि, आवेदक कंपनी द्वारा पूर्व घोषणा ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) के संबंध में पीएमए/भारी उद्योग मंत्रालय को प्रदान की जानी चाहिए।

49. यदि कोई मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी-- दोनों ऑटोमोबिल और/या ऑटो घटकों के व्यवसाय के निर्माण में हों और मूल कंपनी और सहायक कंपनी-- दोनों इस स्कीम के तहत आवेदन करें, तो संचयी घरेलू निवेश और निर्धारित बिक्री मूल्य का समाधान क्या होगा?

उत्तर: ऐसे मामले में, दोनों आवेदकों को स्कीम के तहत प्रोत्साहन की पात्रता के लिए संचयी घरेलू निवेश के मानदंडों को पूरा करना होगा और यह व्यक्तिगत रूप से बिक्री मूल्य निर्धारित करता है। हालांकि, स्कीम के तहत किसी भी पात्र उत्पाद के लिए केवल एक बार ही प्रोत्साहन दिया जाएगा।

50. आवेदक कंपनी ए और बी स्कीम के तहत आवेदन करते हैं। कंपनी ए ने निवेश की फ्रंट लोडिंग के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं दी है जबकि कंपनी बी को

निवेश की फ्रंट लोडिंग के लिए उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर चुना गया है। ऐसे में, इस स्कीम में दोनों कंपनियों के लिए न्यूनतम घरेलू निवेश की शर्त क्या होगी?

उत्तर: कंपनी ए के लिए न्यूनतम घरेलू निवेश शर्त स्कीम के अनुसार होगी। कंपनी बी के लिए न्यूनतम घरेलू निवेश शर्त कंपनी बी द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए निवेश की फ्रंट लोडिंग की प्रतिबद्धता के अनुरूप होगी, बशर्ते चयन फ्रंट लोडिंग की प्रतिबद्धता के आधार पर हुआ हो। इसके अलावा, कंपनी बी द्वारा निवेश की यह फ्रंट लोडिंग अनुमोदन पत्र/समझौते का हिस्सा होगी।

51. क्या भविष्य में, प्रारंभिक अनुप्रयोग में नए एएटी उत्पादों को जोड़ा जा सकता है?

उत्तर: आवेदक उन एएटी उत्पादों को भी शामिल कर सकता है जिनका आवेदक वर्तमान में निर्माण नहीं कर रहा है लेकिन स्कीम अवधि के दौरान निर्माण करना चाहता है। यदि कोई अनुमोदित कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित एएटी उत्पादों की सूची में शामिल किसी नए एएटी उत्पाद का निर्माण शुरू करती है, तो उसे भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा उचित अनुमोदन के बाद भी अनुमोदित आवेदक के लिए जोड़ा जा सकता है।

52. क्या इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाला आवेदक सरकार की अन्य स्कीमों के लिए पात्र हो सकता है?

उत्तर: पीएलआई स्कीम के तहत पात्रता से किसी अन्य स्कीम के तहत पात्रता प्रभावित नहीं होती। लेकिन किसी अन्य पीएलआई स्कीम के तहत किए गए निवेश पर इस पीएलआई के तहत विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, इस स्कीम के तहत बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन फेम-II स्कीम के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा, जिसमें प्रोत्साहन वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को प्रदान किया जाता है, न कि विनिर्माताओं को।

हालांकि, इस स्कीम के तहत उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी वाले बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन का दावा किया जा सकता है, जिसके लिए एसीसी की पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन का दावा किया गया हो।

53. क्या भारत सरकार की अन्य पीएलआई स्कीम के लाभार्थी उन्हीं उत्पादों के लिए इस पीएलआई स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर: एक ही उत्पाद (उत्पादों) के लिए भारत सरकार की किसी अन्य पीएलआई स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक इस पीएलआई स्कीम के तहत [उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) और फेम स्कीम को छोड़कर] पात्र नहीं होगा।

54. ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों द्वारा गलत डेटा प्रस्तुत करने के क्या परिणाम होते हैं, जिसका आवेदकों के चयनित/अनुमोदित होने-न होने पर प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: आवेदकों को सही जानकारी भरने की आवश्यकता है, अन्यथा अन्य आवेदकों की तुलना में उनका चयन प्रभावित हो सकता है। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक के चयन को प्रभावित करने वाली गलत जानकारी आवेदन में प्रस्तुत की गई थी, तो आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

55. कोई आवेदक पीएलआई के तहत संवितरण के लिए दावा कब प्रस्तुत कर सकता है?

उत्तर: आवेदक प्रोत्साहन के संवितरण का दावा उस वित्त वर्ष के अंत से 6 (छह) महीने के भीतर (जिस वित्त वर्ष से वह दावा संबंधित है) या उसी वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय वर्ष विवरणों को अंतिम रूप देने की तारीख से 3 (तीन) महीने के भीतर प्रस्तुत कर सकता है (जो भी बाद में हो)। किसी भी वित्त वर्ष की अवधि के लिए दावा केवल एक बार किया जाएगा, जब तक कि उसे वापस न लिया गया हो, और उक्त अवधि के लिए किसी भी उत्तरवर्ती दावों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

56. पीएलआई का संवितरण कब किया जाएगा?

उत्तर: संबंधित वर्ष के लिए पीएलआई का वास्तविक संवितरण उस वर्ष के बाद किया जाएगा।

57. यदि कोई चयनित आवेदक बीच में ही बाहर निकल जाए, तो क्या होगा?

उत्तर: निवेश मानदंडों को पूरा किए बिना किसी चयनित आवेदक के बीच में बाहर निकलने से स्कीम के उद्देश्य विफल हो जाएंगे, जैसे गहन स्थानीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन को अधिकतम करना और स्कीम के तहत किसी अन्य पात्र आवेदक को चयन के अवसर से वंचित करना।

अतः, सभी अनुमोदित आवेदकों को चैंपियन ओईएम स्कीम के लिए ₹ 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये मात्र) और घटक चैंपियन स्कीम के लिए ₹1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये मात्र) की बैंक गारंटी किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से अनुमोदन पत्र की तारीख से केवल 45 दिनों के भीतर जमा करानी होगी जिसकी वैधता 31/03/2029 तक हो।

इसके अलावा, यदि कोई चयनित आवेदक भारी उद्योग मंत्रालय को लिखित सूचना देकर बाहर निकलता है और/या किसी भी कारण से स्कीम के किसी भी चरण में लगातार दो वर्षों तक कोई संचयी घरेलू निवेश नहीं करता है, तो ऐसे मामले में आवेदक द्वारा दी गई बैंक गारंटी इन्वोक की जाएगी और आवेदक स्कीम के शेष कार्यकाल के लिए अपात्र हो जाएगा।

58. क्या स्कीम की अवधि के दौरान संचयी घरेलू निवेश/निर्धारित बिक्री मूल्य को पूरा नहीं करने पर किसी दंड का प्रावधान है?

उत्तर: स्कीम के कार्यकाल के दौरान संचयी घरेलू निवेश/निर्धारित बिक्री मूल्य को पूरा करने में किसी आवेदक के सक्षम न होने पर बैंक गारंटी इन्वोक करने के अलावा कोई मौद्रिक दंड नहीं है (एफएक्यू सं. 57 में यथा उल्लेख अनुसार)। तथापि, यदि संचयी घरेलू निवेश और निर्धारित बिक्री मूल्य के मानदंड को पूरा न किया गया हो, तो आवेदक स्कीम के उस वर्ष विशेष के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के प्रयोजन से अपात्र हो जाएगा।

59. आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संकेतित सूची क्या है?



उत्तर: आवेदक को आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी के साथ निम्नलिखित संकेतित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

- i. स्थापना संबंधी प्रमाण-पत्र और कॉर्पोरेट पहचान संख्या
- ii. संस्था का बहिर्नियम
- iii. संस्था के अंतर्नियम
- iv. पैन कार्ड
- v. जीएसटीआईएन पंजीकरण प्रमाणपत्र
- vi. आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) पंजीकरण प्रमाण-पत्र; यदि हो
- vii. पिछले तीन वित्त वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और/या लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- viii. प्रमाणित शेयरधारिता पैटर्न
- ix. हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी को अधिकृत करने वाला पत्र
- x. आरबीआई, सेबी आदि के दिवालियेपन और चूककर्ताओं की सूची के संबंध में वचनबंध
- xi. सत्यनिष्ठा अनुपालन के संबंध में वचनबंध
- xii. विनिर्माण स्थलों और वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा/सत्यापन के लिए सहमति

नोट: पीएमए/परीक्षण एजेंसी/भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आगे सत्यापन/स्पष्टीकरण के लिए मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज।

**60. स्कीम के अनुसार घरेलू मूल्यवर्धन क्या है?**

उत्तर: न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। फेम-II स्कीम के सदृश चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का अनुसरण किया जाएगा। घरेलू मूल्यवर्धन के निर्धारण की पद्धति फेम स्कीम की तरह ही होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रमाणित करेगी।

61. किसी कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव की अनुमति होगी या नहीं?

उत्तर: हां, भारी उद्योग मंत्रालय को सूचना देकर।

62. अनुमोदन मिलने के बाद संयंत्र के स्थान में परिवर्तन की अनुमति होगी या नहीं?

उत्तर: हां, भारी उद्योग मंत्रालय को सूचना देकर।

63. क्या स्कीम के तहत पात्र उत्पादों की घरेलू बिक्री या निर्यात बिक्री पर प्रोत्साहन लागू है?

उत्तर: इस स्कीम में पात्र उत्पादों की घरेलू और निर्यात बिक्री में अंतर नहीं किया गया है।

64. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, यदि अधिकांश घटकों का आयात किया जाता है और यह फेम-II स्कीम के लिए पात्र नहीं है, तो क्या यह पीएलआई स्कीम उस क्षेत्र के लिए सहायक हो सकती है?

उत्तर: नहीं, न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन अनिवार्य है।

65. यदि किसी वर्ष बिक्री प्राप्त न हो सके, तो क्या दो वर्ष की बिक्री को जोड़कर अगले वर्ष में प्रोत्साहन प्राप्त करने का कोई प्रावधान है?

उत्तर: नहीं, प्रत्येक वर्ष के लिए प्रोत्साहन केवल उस वर्ष विशेष के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य के लिए ही लागू होगा।

66. क्या ऑटो घटक निर्माता के लिए ओईएम बिक्री और बिक्री-पश्चात् के बाजार--दोनों के लिए राजस्व पर विचार किया जाएगा?

उत्तर: हाँ।

67. परीक्षण एजेंसी कौन सी हैं?

उत्तर: भारी उद्योग मंत्रालय की 4 परीक्षण एजेंसियां हैं:

i. मध्य भारत में पुणे (महाराष्ट्र) में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)।

ii. उत्तर भारत में मानेसर (हरियाणा) में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईकैट)।

iii. दक्षिण भारत में चेन्नई (तमिलनाडु) के पास ओरगडम में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी)।

iv. मध्य भारत में इंदौर (मध्य प्रदेश) के पास पीतमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (नेट्रैक्स)।

68. इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर: स्कीम के लिए प्रोत्साहन गणना को निम्नलिखित उदाहरणों के साथ दर्शाया जा रहा है:

उदाहरण -1: चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम

(करोड़ रूपए में)

स्कीम वर्ष	पात्र बिक्री मूल्य	निर्धारित बिक्री मूल्य	13%	14%	15%	16%	अतिरिक्त 2%	वर्षवार कुल प्रोत्साहन
आधार वर्ष	100.00	शून्य						
वर्ष 1	300.00	200.00	26.00					26.00
वर्ष 2	1,600.00	1,500.00	195.00					195.00

वर्ष 3	3,000.00	2,900.00	260.00	126.00				386.00
वर्ष 4	3,500.00	3,400.00	260.00	140.00	60.00			460.00
वर्ष 5	4,500.00	4,400.00	260.00	140.00	150.00	64.00	48.00	662.00
कुल	12,900.00	12,400.00						1,729.00

उदाहरण-2: चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम

(करोड़ रूपए में)

स्कीम वर्ष	पात्र बिक्री मूल्य	निर्धारित बिक्री मूल्य	13%	14%	15%	16%	अतिरिक्त 2%	वर्षवार कुल प्रोत्साहन
आधार वर्ष	100.00	शून्य						
वर्ष 1	500.00	400.00	52.00					52.00
वर्ष 2	550.00	450.00	58.50					58.50
वर्ष 3	600.00	500.00	65.00					65.00
वर्ष 4	1,000.00	900.00	117.00					117.00
वर्ष 5	3,100.00	3,000.00	260.00	140.00				400.00
कुल	5,750.00	5,250.00						692.50

उदाहरण -3: चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम

(करोड़ रूपए में)

स्कीम वर्ष	योग्य बिक्री मूल्य	निर्धारित बिक्री मूल्य	13%	14%	15%	16%	अतिरिक्त 2%	कुल प्रोत्साहन वर्षवार
आधार वर्ष	शून्य	शून्य						
वर्ष 1	शून्य	शून्य	शून्य					शून्य
वर्ष 2	150.00	150.00	19.50					19.50
वर्ष 3	110.00	110.00	शून्य					शून्य
वर्ष 4	600.00	600.00	78.00					78.00
वर्ष 5	1,500.00	1,500.00	195.00					195.00
कुल	2,360.00	2,360.00						292.50